अनुदान संख्या 48 – पुलिस
GRANT No. 48 - POLICE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged -*			*8,34,00*	*4,53,05*	*-3,80,95*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*1,39,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	67536,60,00		72412,77,00	71969,68,77	-443,08,23
पूरक	Supplementary	4876,17,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					240,28,80
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*			*6,72,00*	*5,70,21*	*-1,01,79*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	11171,64,00		11171,67,00	10538,79,38	-632,87,62
पूरक	Supplementary	3,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					572,29,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	*O.*	*834.00*	*695.00*	*453.05*	*-241.95*
पु.	*R.*	*-139.00*			

(I) *₹50.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा;

(I) *Appropriation* of *₹ 50.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads.

(II) "असम राइफल्स – स्थापना और प्रशासन" के अंतर्गत *₹228.59 लाख* की बचत (*₹330.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) न्यायिक मामलों को अंतिम रूप देने में धीमी प्रगति तथा लंबित मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Assam Rifles-Establishment and Administration" - saving of *₹228.59 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹330.00 lakhs*) was due to slow progress in finalization of court cases and non-finalization of pending cases.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत *₹61.94 लाख* की बचत हुई जो स्वीकृत *विनियोग* का 86 प्रतिशत थी।

(III) Under one head saving of *₹ 61.94 lakhs* occurred constituting 86 percent of the sanctioned *appropriation*.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	6419035.00	6822801.20	6802628.68	-20172.52
पू.	S.	452269.00			
पु.	R.	-48502.80			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants- in-aid to State Governments				
मू.	O.	327392.00			
पू.	S.	35347.00	393454.00	393432.45	-21.55
पु.	R.	30715.00			
मुख्य शीर्ष "3602" विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	6100.00			
पू.	S.	1.00	993.00	907.64	-85.36
पु.	R.	-5108.00			
मुख्य शीर्ष "3605" अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	Major Head "3605" Technical and Economic Co-operation with Other Countries				
मू.	O.	1133.00			
			..	..	..
पु.	R.	-1133.00			

(I) ₹1491.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए ₹2.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, इनमें से ₹1489.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹1491.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹2.00 lakhs obtained in December, 2017) remained wholly unutilized under four heads; of these ₹1489.00 lakhs accounted for under the following major heads :-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" – "शिक्षा और प्रशिक्षण – केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान" – ₹356.00 रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण।

(A) Major Head "2055" - "Education and Training - Central Armed Police Forces Institute of Medical Science" - ₹356.00 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(खा) मुख्य शीर्ष “3605” – “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – नेपाल पुलिस अकादमी को सहायता” – ₹1133.00 लाख स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण।

(B) Major Head “3605” - “International Cooperation - Assistance to Nepal Police Academy” - ₹1133.00 lakhs- due to non-approval of scheme.

(II) मुख्य शीर्ष “2055” के अंतर्गत दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में प्राप्त किया गया पूरक अनुदान निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत प्रत्येक के सामने दर्शाए गए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहाः—

(II) Supplementary grant obtained in December, 2017 and March, 2018 under Major Head “2055” - remained wholly unutilized under the following heads as shown against each:-

(का) “निदेशन और प्रशासन”

(क) “केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के विभागीय लेखा संगठन” – ₹9830.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹45.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹9875.00 लाख किया गया था। तथापि, ₹350.94 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को भरे न जाने और अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जान के कारण हुई।

(ख) “स्वापक नियंत्रण ब्यूरो” – ₹7384.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹550.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7934.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹881.37 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों, वेबसाइट अपग्रेडेशन को अनुमोदन न मिलने तथा अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(A) “Direction and Administration” -

(a) “Departmental Accounting Organisation of Central Armed Police Forces” - the original provision of ₹9830.00 lakhs was augmented to ₹9875.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹45.00 lakhs. However, there was a saving of ₹350.94 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of procurement proposals.

(b) “Narcotics Control Bureau” - the original provision of ₹7384.00 lakhs was augmented to ₹7934.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹550.00 lakhs. However, there was a saving of ₹881.37 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-approval of procurement proposals, website upgradation and non-finalisation of bilateral meeting with other countries.

(खा) “शिक्षा और प्रशिक्षण” –

(क) “राष्ट्रीय पुलिस अकादमी” – ₹13367.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹401.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹13768.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2600.11 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(B) “Education and Training” -

(a) “National Police Academy” - the original provision of ₹13367.00 lakhs was augmented to ₹13768.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹401.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2600.11 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-finalisation of procurement proposals and less tours undertaken.

(ख) "केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" – ₹1782.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹144.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1926.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1447.15 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, कुछ प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने और अधिप्राप्ति प्रस्तावों का पुनः निर्धारण होने के कारण हुई।

(b) "Central Academy for Police Training" - the original provision of ₹1782.00 lakhs was augmented to ₹1926.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹144.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1447.15 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, non-approval of some proposals and rescheduling of procurement proposals.

(गा) "अनुसंधान – पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो" – ₹3133.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹118.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3251.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹907.15 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) राष्ट्रीय पुलिस मिशन स्कीम को अनुमोदन न मिलने, मुद्रण के लिए प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, आईटी उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय तथा अन्य एजेंसियों से बिल प्राप्त न होने के कारण हुई।

(C) "Research - Bureau of Police Research and Development" - the original provision of ₹3133.00 lakhs was augmented to ₹3251.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹118.00 lakhs. However, there was a saving of ₹907.15 lakhs (including supplementary grant) - due to non-approval of National Police Mission Scheme, non-finalisation of proposal for printing, non-receipt of bills from Directorate General of Supplies and Disposal and other agencies for procurement of IT equipments.

(घा) "आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता – केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹3518.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3618.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹396.06 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) कम संविदागत श्रमिकों को किराए पर लिए जाने, कार्यपालक एजेंसी द्वारा अनुरक्षण कार्य की धीमी गति और कुछ अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(D) "Criminal Investigation and Vigilance - Central Forensic Science Laboratory" - the original provision of ₹3518.00 lakhs was augmented to ₹3618.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹100.00 lakhs. However, there was a saving of ₹396.06 lakhs (including supplementary grant) - due to hiring of less contractual labours, slow pace of maintenance work by the executing agency and non-finalisation of some procurement proposals.

(ङ) "विशेष सुरक्षा समूह – स्थापना" – ₹33385.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹15.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹33400.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1307.24 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने, अधिप्राप्ति प्रस्तावों के पुनः निर्धारण किए जाने तथा एसपीजी अधिकारियों के प्रत्यावर्तन की वजह से शिशु शिक्षा भत्ते तथा राशन मनी के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(E) "Special Protection Group - Establishment" - the original provision of ₹33385.00 lakhs was augmented to ₹33400.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1307.24 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts, rescheduling of procurement proposals and requirement of less funds towards children education allowance and ration money owing to repatriation of SPG officers.

4. "दिल्ली पुलिस – दिल्ली पुलिस के यातायात और संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" – ₹4850.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹320.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹5170.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹983.88 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) अधिप्राप्ति नीति में संशोधन के कारण हुई।

(F) "Delhi Police - Modernisation of Traffic and Communication Network of Delhi Police" - the original provision of ₹4850.00 lakhs was augmented to ₹5170.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹320.00 lakhs. However, there was a saving of ₹983.88 lakhs (including supplementary grant) - due to revision of procurement policy.

(III) दिसंबर, 2017 और मार्च, 2018 में मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(III) Supplementary grant obtained in December, 2017 and March, 2018 under Major Head "2055" - remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(का) "निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय जाँच एजेंसी" – ₹10664.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹705.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹11369.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹541.38 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को न भरे जाने, प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने तथा इस संगठन के स्वयं के भवन में स्थानान्तरित न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(A) "Direction and Administration - National Investigation Agency" - the original provision of ₹10664.00 lakhs was augmented to ₹11369.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹705.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹541.38 lakhs - due to non-filling up of vacant posts, non-materialisation of proposals and shifting of the organization to its own building.

(खा) "आपराधिक जाँच तथा सतर्कता – फारेंसिक विज्ञान निदेशालय" – ₹210.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹30.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹240.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹25.21 लाख की सीमा तक कम दावे प्राप्त होने कम विदेशी दौरे किए जाने तथा विज्ञापन और प्रचार के लिए कम प्रस्ताव मिलने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(B) "Criminal Investigation and Vigilance - Directorate of Forensic Science" - the original provision of ₹210.00 lakhs was augmented to ₹240.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹30.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹25.21 lakhs - due to receipt of less claims, less foreign tours undertaken and receipt of less proposals towards advertisement and publicity.

(गा) "केंद्रीय रिजर्व पुलिस – स्थापना" – ₹1739963.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹101026.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1840989.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹32649.67 लाख की सीमा तक अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने, कम रंगरूटों के सेवा मे आने तथा बिजली के बिलों, छुट्टी यात्रा रियायत तथा चिकित्सा दावों की कम प्राप्ति के कारण अप्रयुक्त रहा।

(C) "Central Reserve Police - Establishment" - the original provision of ₹1739963.00 lakhs was augmented to ₹1840989.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹101026.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹32649.67 lakhs - due to non-finalisation of procurement proposals, joining of less recruits and less receipt of electricity bills, leave travel concession and medical claims.

(घा) "असम राइफल्स – स्थापना और प्रशासन" – ₹462964.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹24645.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹487609.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹7594.68 लाख की सीमा तक आपूर्तिकर्ताओं से बिल न प्राप्त होने और अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(D) "Assam Rifles - Establishment and Administration" - the original provision of ₹462964.00 lakhs was augmented to ₹487609.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹24645.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹7594.68 lakhs - due to non-receipt of bills from suppliers and non-finalisation of procurement proposals.

(ङ) "सीमा सुरक्षा बल" –

(क) "सीमा सुरक्षा बल महानिदेशालय" – ₹1537154.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹53184.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1590338.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹6911.02 लाख की सीमा तक कम छुट्टी यात्रा रियायत, शिशु शिक्षा भत्ते तथा चिकित्सा दावे प्राप्त होने, राशन मनी में संशोधन को मूर्त रूप न दिए जाने, कूरियर सेवाओं के आउटसोर्सिंग में विलंब तथा पीसीडीए, जम्मू द्वारा राशन मनी का कम इस्तेमाल किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ख) "भारत – तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹471165.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹32232.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹503397.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹2435.28 लाख की सीमा तक अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा किफायत उपाय किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(E) "Border Security Force" -

(a) "Directorate General of Border Security Force" - the original provision of ₹1537154.00 lakhs was augmented to ₹1590338.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹53184.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹6911.02 lakhs - due to receipt of less leave travel concession, children education allowance and medical claims, non-materialisation of revision of ration money, delay in outsourcing of courier services and less utilization of ration money by PCDA, Jammu.

(b) "Indo-Tibetan Border Police" - the original provision of ₹471165.00 lakhs was augmented to ₹503397.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹32232.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹2435.28 lakhs - due to non-finalisation of procurement proposals and economy measures.

(चा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड – स्थापना" – ₹70224.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹19065.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹89289.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, ₹1281.99 लाख की सीमा तक 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद वस्त्र मदों की अधिप्राप्ति न किए जाने, कम दावे प्राप्त होने तथा राशन मनी में संशोधन को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(F) "National Security Guard - Establishment" - the original provision of ₹70224.00 lakhs was augmented to ₹89289.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹19065.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1281.99 lakhs - due to non-procurement of clothing items after the implementation of 7th Central Pay Commission, receipt of less claims and non-materialisation of revision of ration money.

(IV) मुख्य शीर्ष "2055" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" – ₹485.71 लाख की बचत (₹2397.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम परामर्शदाता भाड़े पर लिए जाने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(खा) "शिक्षा और प्रशिक्षण" –

(क) "केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय" – ₹152.08 लाख की बचत (₹1701.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, भवनों के नवीनीकरण के प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने तथा संविदागत कर्मचारियों और आईटी से संबंधित परियोजनाओं के बिलों की अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान" – ₹713.09 लाख की बचत (₹1782.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम परामर्शदाताओं को भाड़े पर लेने तथा अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(ग) "पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी" – ₹388.67 लाख की बचत (₹3013.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने तथा वर्दी भत्ते के कार्यान्वयन के कारण वस्त्र और तम्बुओं के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(घ) "अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम" – ₹187.57 लाख की बचत (₹220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्क देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को मूर्त रूप न दिए जाने और किफायत उपायों के कारण हुई।

(गा) "बेतार और कंप्यूटर – अंतर्राज्यीय पुलिस बेतार स्कीम" – ₹907.09 लाख की बचत (₹7313.00 लाख के

(IV) Under Major Head "2055" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Direction and Administration - National Intelligence Grid" - saving of ₹485.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2397.00 lakhs) was due to hiring of less consultants and less tour undertaken.

(B) "Education and Training" -

(a) "Central Detective Training School" - saving of ₹152.08 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1701.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-approval of proposals for renovation of buildings and non-materialisation of bills for contractual staff and IT related projects.

(b) "National Institute of Criminology and Forensic Science" - saving of ₹713.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1782.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, hiring of less consultants and non approval of procurement proposals.

(c) "North Eastern Police Academy" - saving of ₹388.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3013.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards clothing and tentage owing to implementation of dress allowance.

(d) "International Bilateral Training Programmes" - saving of ₹187.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹220.00 lakhs) was due to non-materialisation of international training programme for SAARC countries and economy measures.

(C) "Wireless and Computers - Inter-State Police Wireless Scheme" - saving of ₹907.09 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निर्धारित मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों के पूरा न होने के कारण हुई।

(घा) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण – अपराध तथा अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क" – ₹583.34 लाख की बचत (दिसंबर, 2017 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹3101.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ङ) "दिल्ली पुलिस – महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम" – ₹330.59 लाख की बचत (₹621.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परामर्शदात्री सेवाओं को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(चा) "सीमा प्रबन्धन" –

(क) "भारत – बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य" – ₹550.20 लाख की बचत (₹12100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "भारत – पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य" – ₹900.49 लाख की बचत (₹12100.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यपालक एजेंसियों से दावे प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(ग) "भारतीय भू–पत्तन प्राधिकरण को अनुदान" – ₹20000.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण के प्रस्ताव को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(घ) "भारत – चीन सीमा निर्माण कार्य" – ₹132.00 लाख की बचत (₹232.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of ₹7313.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-completion of scheduled repair and maintenance works by the executing agencies.

(D) "Modernisation of Police Force - Crime and Criminal Tracking Network Systems" - saving of ₹583.34 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹3101.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2017) was due to non-finalisation of procurement proposals and non-receipt of claims from the implementing agencies.

(E) "Delhi Police - Scheme for Safety of Women" - saving of ₹330.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹621.00 lakhs) was due to non-approval of consultancy services.

(F) "Border Management" -

(a) "Indo-Bangladesh Border Works" - saving of ₹550.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12100.00 lakhs); and

(b) "Indo-Pak Border Works" - saving of ₹900.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12100.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of claims from the executing agencies.

(c) "Grants to Land Port Authority of India" - saving of ₹20000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to non-approval of proposal for construction of integrated check post.

(d) "Indo-China Border Works" - saving of ₹132.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹232.00 lakhs) was due to slow pace of works.

(छा) "अन्य व्यय" –

(क) "नक्सल प्रबंधन के लिए सहायता" – ₹623.48 लाख की बचत (₹4400.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम के "पुलिस बलों के आधुनिकीकरण" की अम्ब्रेला स्कीमों को अंतरण के कारण हुई।

(ख) "निर्भया निधि परियोजना" – ₹5441.00 लाख की बचत (₹6700.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयुक्त तथा अनुकूल बोली के उपलब्ध न होने के कारण प्रस्ताव हेतु अनुरोध को समाप्त करके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर परियोजना के कार्यान्वयन का निर्णय लिए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीमें" के अंतर्गत ₹3474.76 लाख की बचत (₹15640.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से कम मांगें प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "3602" – "विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – निर्भया निधि से वित्तपोषित स्कीम" के अंतर्गत ₹5686.13 लाख की बचत (₹6100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹94.37 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत थी।

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹59992.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2017 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹429286.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(G) "Other Expenditure" -

(a) "Assistance for Naxal Management" - saving of ₹623.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4400.00 lakhs) was due to shifting of scheme to umbrella schemes of "Modernisation of Police Forces".

(b) "Nirbhaya Fund Project" - saving of ₹5441.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6700.00 lakhs) was due to decision to implement the project at State/UT level owing to non-availability of appropriate and responsive bid scraping of request for proposal.

(V) Under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Schemes Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹3474.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15640.00 lakhs) was due to receipt of less demands from the State Governments.

(VI) Under Major Head "3602" - "Other Transfer/Grants to Union Territory Governments with Legislatures - Special Assistance - Scheme Financed from Nirbhaya Fund" - saving of ₹5686.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6100.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the executing agencies.

(VII) Under one head saving of ₹94.37 lakhs occurred constituting 63 percent of the sanctioned provision.

3. (I) The above savings were partly (₹59992.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹429286.00 lakhs in December, 2017 - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2055" –

(क) "निदेशन और प्रशासन" –

(i) "आसूचना ब्यूरो" – ₹15141.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹13074.50 लाख था।

(ii) "आप्रवास ब्यूरो" – ₹1862.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1546.74 लाख था।

(ख) "औद्योगिक सुरक्षा बल – निदेशन और प्रशासन" – ₹1510.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1417.51 लाख था।

(ग) "पुलिस बल का आधुनिकीकरण – एलडब्ल्यूई प्रबंधन के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता" – ₹1215.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1212.50 लाख था।

(घ) "दिल्ली पुलिस – निदेशन और प्रशासन" – ₹3295.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2786.99 लाख था।

(ङ) "सशस्त्र सीमा बल – स्थापना" – ₹2960.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹3097.94 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" –

(क) "केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹19960.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹19940.96 लाख था।

(ख) "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन" – ₹13499.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹13498.00 लाख था।

(A) Major Head "2055" -

(a) "Direction and Administration" -

(i) "Intelligence Bureau" - ₹15141.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13074.50 lakhs.

(ii) "Bureau of Immigration" - ₹1862.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1546.74 lakhs.

(b) "Industrial Security Force - Direction and Administration" - ₹1510.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1417.51 lakhs.

(c) "Modernisation of Police Force - Assistance to Central Agencies for LWE Management" - ₹1215.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1212.50 lakhs.

(d) "Delhi Police - Direction and Administration" - ₹3295.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2786.99 lakhs.

(e) "Sashastra Seema Bal - Establishment" - ₹2960.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3097.94 lakhs.

(B) Major Head "3601" -

(a) "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Modernisation of Police Forces" - ₹19960.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹19940.96 lakhs.

(b) "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Gorkhaland Territorial Administration" - ₹13499.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹13498.00 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें – केंद्रीय सहायता / हिस्सा" –

(क) "पुलिस बलों का आधुनिकीकरण" – ₹450.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹365.43 लाख था।

(ख) "ई–जेलों का कार्यान्वयन" – ₹100.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹99.67 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(का) मुख्य शीर्ष "2055" – "पुलिस बल का आधुनिकीकरण – इस प्रकार के राज्य पुलिस संगठन को सहायता" – ₹345.15 लाख का अधिक व्यय (₹7700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई स्कीमों के कार्यन्वयन के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण / अनुदान – विशेष सहायता – पुलिस संबंधी खर्चों के लिए अनुदान / प्रतिपूर्ति" – ₹729.25 लाख का अधिक व्यय (मार्च 2018 में प्राप्त किए गए ₹4347.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹14199.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹ 92.00 लाख* का *विनियोग* तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत हिस्सें में, बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआः–

(C) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share" -

(a) "Modernisation of Police Forces" - ₹450.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹365.43 lakhs.

(b) "Implementation of e-prisons" - ₹100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹99.67 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2055" - "Modernisation of Police Force - Assistance to State Police Organisation in kind" - excess of ₹345.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7700.00 lakhs) was due to implementation of new schemes.

(B) Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Grants/Re-imbursement for Police Related Expenses" - excess of ₹729.25 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14199.00 lakhs including supplementary grant of ₹4347.00 lakhs obtained in March, 2018) was due to receipt of more claims from the State Governments.

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹92.00 lakhs* remained wholly unutilized under three heads.

5. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	1027389.00			
पू.	S.	3.00	1059938.00	1053879.38	-6058.62
पु.	R.	32546.00			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	89775.00			
			..	..	..
पु.	R.	-89775.00			

(I) बीस शीर्षों के अंतर्गत ₹100210.00 लाख का प्रावधान पूर्ण रूप से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹99980.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(I) Provision of ₹100210.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty heads; of these ₹99980.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4055" –

(क) "अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण – राष्ट्रीय पुलिस मिशन" – ₹305.00 लाख – सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना का अनुमोदन न किए जाने के कारण।

(ख) "दिल्ली – पुलिस आवास निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी की शुरुआत" – ₹8400.00 लाख – लक्ष्यों को प्राप्त न किए जाने के कारण।

(ग) "सीमा प्रबंधन – भारत – म्यांमार सीमा निर्माण कार्य" – ₹1500.00 लाख – परियोजना प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण।

(A) Major Head "4055" -

(a) "Research, Education and Training - National Police Mission" - ₹305.00 lakhs - due to non- approval of project by the competent authority.

(b) "Delhi Police - Public Private Partnership Initiative on Delhi Police Housing" - ₹8400.00 lakhs - due to non-achievement of milestones.

(c) "Border Management - Indo-Myanmar Border Works" - ₹1500.00 lakhs - due to non-finalisation of project proposals.

(खा) मुख्य शीर्ष "4552" –

(क) "असम राइफल्स" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹11060.00 लाख;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹14300.00 लाख;

(ख) "सीमा सुरक्षा बल" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹3200.00 लाख;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹4866.00 लाख;

(ग) "सशस्त्र सीमा बल" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹8150.00 लाख;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹11000.00 लाख;

(घ) "केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹4667.00 लाख;

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹2134.00 लाख;

(ङ) "सीमा प्रबंधन" –

(i) "भारत – बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य" – ₹20800.00 लाख;

(ii) "भारत – चीन सीमा" – ₹6500.00 लाख;

(च) "भारत तिब्बत सीमा पुलिस" –

(i) "आवासीय भवन" – ₹1240.00 लाख; और

(B) Major Head "4552" -

(a) "Assam Rifles" -

(i) "Residential Building" - ₹11060.00 lakhs;

(ii) "Office Building" - ₹14300.00 lakhs;

(b) "Border Security Force" -

(i) "Residential Building" - ₹3200.00 lakhs;

(ii) "Office Building" - ₹4866.00 lakhs;

(c) "Sahashtra Seema Bal" -

(i) "Residential Building" - ₹8150.00 lakhs;

(ii) "Office Building" - ₹11000.00 lakhs;

(d) "Central Reserve Police Force" -

(i) "Residential Building" - ₹4667.00 lakhs;

(ii) "Office Building" - ₹2134.00 lakhs;

(e) "Border Management" -

(i) "Indo-Bangladesh Border Works" - ₹20800.00 lakhs;

(ii) "Indo-China Border" - ₹6500.00 lakhs;

(f) "Indo-Tibetan Border Police" -

(i) "Residential Building" - ₹1240.00 lakhs; and

(ii) "कार्यालय भवन" – ₹1858.00 लाख;

प्रावधान उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4055" – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "सीमा सुरक्षा बल – महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल" – ₹6476.97 लाख की बचत (दिसंबर 2017 में प्राप्त किए गए ₹0.15 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹119741.15 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी गति तथा प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

(खा) "राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड" –

(क) "सामान्य" – ₹2020.57 लाख की बचत (₹8855.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों के रद्द होने के कारण हुई।

(ख) "आधुनिकीकरण" – ₹532.39 लाख की बचत (₹2526.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों के पुनः निर्धारण के कारण हुई।

(ग) "आवासीय भवन" – ₹358.59 लाख की बचत (₹7859.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(गा) "औद्योगिक सुरक्षा बल – आवासीय भवन" – ₹2809.84 लाख की बचत (₹19210.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी गति तथा प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) "Office Building" - ₹1858.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4055" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Border Security Force - Directorate General of Border Security Force" - saving of ₹6476.97 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹119741.15 lakhs including token supplementary grant of ₹0.15 lakh obtained in December, 2017) was due to slow pace of work by the executing agencies and non-approval of proposals.

(B) "National Security Guard" -

(a) "General" - saving of ₹2020.57 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8855.00 lakhs) was due to cancellation of procurement proposals.

(b) "Modernisation" - saving of ₹532.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2526.00 lakhs) was due to rescheduling of procurement proposals.

(c) "Residential Buildings" - saving of ₹358.59 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7859.00 lakhs) was due to slow progress of works.

(C) "Industrial Security Force - Residential Buildings" - saving of ₹2809.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19210.00 lakhs) was due to slow pace of work by the executing agencies and non-finalisation of proposals.

(घा) “विशेष सुरक्षा दल – सामान्य” – ₹574.60 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹0.07 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5485.07 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलंब तथा अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(D) “Special Protection Group - General” - saving of ₹574.60 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5485.07 lakhs including token supplementary grant of ₹0.07 lakh obtained in March, 2018) was due to delay in procurement of equipments and non-finalisation of procurement proposals.

(ङ) “अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण” –

(क) “राष्ट्रीय अपराध विज्ञान और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान” – ₹845.86 लाख की बचत (₹1579.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति तथा कुछ प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) “केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय” – ₹3750.50 लाख की बचत (₹4765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जयपुर तथा चंडीगढ़ में कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ग) “पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी” – ₹1712.84 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹0.07 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹4125.07 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्याधीन निर्माण कार्य के बिल प्राप्त न होने तथा कुछ अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और भारी मानसून के कारण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब की वजह से हुई।

(E) “Research, Education and Training” -

(a) “National Institute of Criminology and Forensic Science” - saving of ₹845.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1579.00 lakhs) was due to slow progress of works by the executing agencies and non-finalisation of some proposals.

(b) “Central Detective Training School” - saving of ₹3750.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 4765.00 lakhs) was due to slow progress of works by the executing agencies at Jaipur and Chandigarh.

(c) “North Eastern Police Academy” - saving of ₹1712.84 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4125.07 lakhs including token supplementary grant of ₹0.07 lakh obtained in March, 2018) was due to non-receipt of bills of work under progress, non-finalisation of some procurement proposals and delay in completion of projects by Central Public Works Department owing to heavy monsoon.

(चा) “दिल्ली पुलिस” –

(क) “दिल्ली पुलिस भवन कार्यक्रम” – ₹10562.22 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹0.07 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹35500.07 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के

(F) “Delhi Police” -

(a) “Delhi Police Building Programme” - saving of ₹10562.22 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹35500.07 lakhs including token supplementary grant of ₹0.07 lakh obtained in March, 2018) was due to delay in approval of proposals and

अनुमोदन में विलंब तथा कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(ख) "महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कीम" – ₹1887.36 लाख की बचत (₹2269.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यपालक एजेंसियों द्वारा निर्माण कार्य को शुरु करने में विलंब करने के कारण हुई।

(छा) "सशस्त्र सीमा बल" –

(क) "सीमा बाहरी चौकियां" – ₹1741.25 लाख की बचत (₹8914.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस क्षेत्र में लगातार वर्षा के कारण कार्य में रुकावट के कारण हुई।

(ख) "सामान्य" – ₹673.86 लाख की बचत (₹8480.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) "आधुनिकीकरण" – ₹500.01 लाख की बचत (₹1400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

(जा) "सीमा प्रबंधन – भारत–पाक सीमा निर्माण कार्य" – ₹29228.74 लाख की बचत (₹40000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के चालू न होने तथा प्राकृतिक रुकावटें, खराब मौसम, स्थानीय बाधाएं, स्थानीय स्वीकृति प्राप्त होने में विलंब और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई।

(झा) "तटीय सुरक्षा – तटीय सुरक्षा के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता" – ₹24500.00 लाख की बचत (₹26131.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तटीय सुरक्षा के लिए नौकाओं की अधिप्राप्ति हेतु प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने के कारण हुई।

slow progress of work by the executing agencies.

(b) "Scheme for safety of Women" - saving of ₹1887.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2269.00 lakhs) was due to delay in commencement of construction work by the executing agencies.

(G) "Sashashtra Seema Bal" -

(a) "Border Out Posts" - saving of ₹1741.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8914.00 lakhs) was due to disruption of work owing to incessant rains in the region.

(b) "General" - saving of ₹673.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8480.00 lakhs); and

(c) "Modernisation" - saving of ₹500.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1400.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of procurement proposals.

(H) "Border Management - Indo-Pak Border Works" - saving of ₹29228.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹40000.00 lakhs) was due to non-operationalisation of the institute and natural disturbances, bad weather, local disturbances, delay in obtaining local clearance and slow pace of work by the implementing agencies.

(I) "Coastal Security - Assistance to States/UTs for Coastal Security" - saving of ₹24500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹26131.00 lakhs) was due to non-approval of proposals for procurement of Boats for Coastal Security.

(ञ) "अन्य पुलिस संगठन" –

(क) "राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड" – ₹2192.19 लाख की बचत (₹9830.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्राथमिक अधिकारी प्रशिक्षण के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) "समन्वय (पुलिस बेतार) निदेशालय" – ₹1639.90 लाख की बचत (₹1760.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों, ई–निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्यालय वाहन की सुपुर्दगी में विलंब होने, परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने तथा सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(ग) "केन्द्रीय फारेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई)" – ₹547.40 लाख की बचत (₹601.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन न मिलने तथा मोटर वाहनों की कम अधिप्राप्ति के कारण हुई।

(घ) "टियर स्मोक सामग्री की खरीद, निर्माण तथा वितरण" – ₹1453.26 लाख की बचत (₹1625.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ङ) "आसूचना ब्यूरो" – ₹112.77 लाख की बचत (मार्च, 2018 में प्राप्त ₹0.07 के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹10600.07 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(च) "आप्रवास ब्यूरो" – ₹919.10 लाख की बचत (₹1124.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिप्राप्ति प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(J) "Other Police Organization" -

(a) "National Intelligence Grid" - saving of ₹2192.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9830.00 lakhs) was due to non finalisation of procurement of hardware/ software for conducting of primary officers training.

(b) "Directorate of Coordination (Police Wireless)" - saving of ₹1639.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1760.00 lakhs) was due to non-finalisation of procurement proposals, e-tendering process, delay in delivery of office vehicle, non-approval of project proposals and requirement of less funds by CPWD.

(c) "Central Forensic Science Laboratory (CBI) - saving of ₹547.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹601.00 lakhs) was due to non-approval of procurement proposals and less procurement of motor vehicles.

(d) "Purchase, Manufacture and Distribution of Tear Smoke Material" - saving of ₹1453.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1625.00 lakhs);

(e) "Intelligence Bureau" - saving of ₹112.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹10600.07 lakhs including token supplementary grant of ₹0.07 lakh obtained in March, 2018); and

(f) "Bureau of Immigration" - saving of ₹919.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1124.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to non-approval of procurement proposals.

(छ) "स्वापक नियंत्रण ब्यूरो" – ₹3034.87 लाख की बचत (₹4500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग प्राधिकारियों द्वारा ड्राइंग और रुपरेखा योजना को अनुमोदन न दिए जाने और भूमि उपलब्ध न होने के कारण हुई।

(ज) "राष्ट्रीय जांच एजेंसी" – ₹3010.91 लाख की बचत (₹9310.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य पूरा करने के लिए लक्षित तारीखों के पुनः निर्धारण किए जाने तथा फर्मों द्वारा हल्के प्रयोज्यता वाहनों की सुपुर्दगी में विलंब के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹67.07 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थी।

6. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹107689.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में ₹3.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(का) "केंद्रीय आरक्षी पुलिस" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹12134.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹12014.52 लाख था।

(ख) "आवासीय भवन" – ₹15667.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹15655.20 लाख था।

(ग) "सामान्य" – ₹1000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹878.54 लाख था।

(खा) "असम राइफल्स – सामान्य" – ₹6169.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹6110.78 लाख था।

(g) "Narcotics Control Bureau" - saving of ₹3034.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4500.00 lakhs) was due to non-approval of drawings and layout plan by Central Public Works Department Authorities and non-availability of land.

(h) "National Investigation Agency" - saving of ₹3010.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9310.00 lakhs) was due to rescheduling of target dates for completion of work and delay in delivery of light utility vehicles by the firms.

(III) Under one head saving of ₹67.07 lakhs occurred constituting 22 percent of the sanctioned provision.

6.(I) The above savings were partly (₹107689.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Central Reserve Police" -

(a) "Office Buildings" - ₹12134.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12014.52 lakhs.

(b) "Residential Buildings" - ₹15667.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹15655.20 lakhs.

(c) "General" - ₹1000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹878.54 lakhs.

(B) "Assam Rifles - General" - ₹6169.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6110.78 lakhs.

(गा) "सीमा सुरक्षा बल – भारत–तिब्बत सीमा पुलिस" – ₹1102.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1137.05 लाख था।

(C) "Border Security Force - Indo-Tibetan Border Police" - ₹1102.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1137.05 lakhs.

(घा) "औद्योगिक सुरक्षा बल – आधुनिकीकरण" – ₹111.00 लाख।

(D) "Industrial Security Force - Modernisation" - ₹111.00 lakhs.

(ङ) "विशेष सुरक्षा दल – कार्यालय भवन" – ₹13000.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹12999.85 लाख था।

(E) "Special Protection Group - Office Buildings" - ₹13000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹12999.85 lakhs.

(चा) "अनुसंधान, शिक्षा तथा प्रशिक्षण" –

(क) "राष्ट्रीय पुलिस अकादमी" – ₹1334.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1302.93 लाख था।

(ख) "पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो" – ₹312.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹261.22 लाख था।

(ग) "केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी" – ₹2741.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2738.57 लाख था।

(घ) "राष्ट्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान" – ₹4910.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4909.89 लाख था।

(F) "Research, Education and Training" -

(a) "National Police Academy" - ₹1334.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1302.93 lakhs.

(b) "Bureau of Police Research and Development" - ₹312.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹261.22 lakhs.

(c) "Central Academy for Police Training" - ₹2741.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2738.57 lakhs.

(d) "Central Armed Police Force Institute of Medical Science" - ₹4910.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4909.89 lakhs.

(छा) "सशस्त्र सीमा बल – आवासीय भवन" – ₹11943.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹11545.88 लाख था।

(G) "Sashastra Seema Bal - Residential Buildings" - ₹11943.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹11545.88 lakhs.

(जा) "सीमा प्रबंधन – भारत–बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य" – ₹31100.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹31166.37 लाख था।

(H) "Border Management-Indo-Bangladesh Border Works" - ₹31100.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹31166.37 lakhs.

(झा) "अन्य पुलिस संगठन" –

(क) "केंद्रीय फॉरेंसिक–विज्ञान प्रयोगशाला" – ₹666.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹528.05 लाख था।

(I) "Other Police Organisation" -

(a) "Central Forensic - Science Laboratory" - ₹666.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹528.05 lakhs.

(ख) "अनुसंधान" – ₹5500.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹5499.86 लाख था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "4055" के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) "असम राइफल्स" –

(क) "कार्यालय भवन" – ₹14279.72 लाख का अधिक व्यय (₹1449.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(ख) "आवासीय भवन" – ₹11036.38 लाख का अधिक व्यय (₹1418.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(खा) "सशस्त्र सीमा बल – कार्यालय भवन" – ₹5293.67 लाख का अधिक व्यय (₹27100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

अधिक व्यय उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(गा) "औद्योगिक सुरक्षा बल – सामान्य" – ₹313.25 लाख का अधिक व्यय (₹3927.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहन एवं उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(घा) "दिल्ली पुलिस – दिल्ली पुलिस के यातायात एवं संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण" – ₹230.15 लाख का अधिक व्यय (₹14768.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विभिन्न उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Research" - ₹5500.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5499.86 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4055" - under the following heads:-

(A) "Assam Rifles" -

(a) "Office Buildings" - excess of ₹14279.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1449.00 lakhs);

(b) "Residential Buildings" - excess of ₹11036.38 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1418.00 lakhs); and

(B) "Sashastra Seema Bal - Office Buildings" - excess of ₹5293.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27100.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(C) "Industrial Security Force - General" - excess of ₹313.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3927.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for procurement of vehicles and equipments.

(D) "Delhi Police - Modernisation of Traffic and Communication Network of Delhi Police" - excess of ₹230.15 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14768.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards procurement of various equipments.